राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक:प.8(ग)(5)नियम/डीएलबी/2021/57075 दिनांक: 25/5/21

अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना क्रमांक: 49144 दिनांक 11.01.2021 के द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 107 (1) के अन्तर्गत गृहकर एवं नगरीय विकास कर एक मुश्त राशि जमा कराने पर शास्ति में दिनांक 31.03.2021 तक निम्नानुसार छूट प्रदान की गई थी:–

क्र.स.	कर का नाम	दिनांक 31.03.2021 तक जमा कराने पर
1.	गृहकर	सम्पूर्ण बकाया गृहकर आवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड/भवनों का एक मुश्त जमा कराने पर मूल गृहकर की राशि पर 50 प्रतिशत राशि की छूट एवं शास्ति पर शत्–प्रतिशत छूट।
2.	नगरीय विकास कर	वर्ष 2019–20 तक का एक मुश्त नगरीय विकास कर की राशि जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति पर शत–प्रतिशत छूट होगी। जिन प्रकरणों में 8 वर्ष से पूर्व (अर्थात वर्ष 2011–12 से पूर्व) का नगरीय विकास कर बकाया है, उन प्रकरणों में एक मुश्त जमा कराने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में ब्याज पेनल्टी की छूट के साथ मूल बकाया में 50 प्रतिशत की छूट

जिसकी अवधि दिनांक 31.07.2021 तक बढायी जाती है एवं पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जायेगा तथा जमा राशि पुनः लौटाई नहीं जायेगी।

यह अधिसूचना सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दीपक नन्दी)
निदेशक एव विशिष्ठ सचिव

क्रमांक:प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/2021/57076-57603 दिनांक: 25/5/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
04. महापौर/सभापति/अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
05. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
06. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान जयपुर।
07. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान।
08. प्रोग्रामर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
09. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु।
10. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज0 जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करावें।
11. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी